2026:AHC-LKO:40258-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दाण्डिक विविध रिट याचिका संख्या - 4697 वर्ष 2026

श्रीमती शिवानी उर्फ आफ़रीन एवं अन्य

..... याचीगण

बनाम

सचिव, गृह विभाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), बी.पी. निगम, भगवती प्रसाद निगम

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त

1. सुना गया।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 26.05.2026 को आदेश पारित किया है, जो निम्नवत् है :-

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

"1. आदेश दिनांक 22.05.2026 के अनुपालन में, आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रबन्धक श्री सर्वेश कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, जबकि निर्देश विद्यालय के प्रधानाचार्य को आज हमारे समक्ष उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था। उनका कथन है कि प्रधानाचार्य अस्वस्थ हैं, अतः वे आए हैं। संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रधानाचार्य श्री नूर हसन खान भी प्रवेश रजिस्टर के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। दोनों को थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई के उपनिरीक्षक श्री दीप नारायन पाण्डेय द्वारा लाया गया है।

2. आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई के रजिस्टर में क्रम संख्या 1104 पर छात्र का नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र भुन्नू है, जिसकी जन्मतिथि 18.08.2004 है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रबन्धक का कथन है कि याची संख्या-1 ने उनके विद्यालय में कभी अध्ययन नहीं किया, जबकि याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याची संख्या-1 ने आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई में अध्ययन किया है तथा आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रबन्धक स्वयं दिनांक 27.02.2026 को केस क्राइम संख्या 90 वर्ष 2022, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई में हरदोई की बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिस तिथि पर उनका कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया था कि याची संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 1104 पर अभिलिखित है। श्री सर्वेश कुमार के कथन की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिस पर लगभग वही हस्ताक्षर हैं, जो याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संलग्नक संख्या-2 के रूप में दाखिल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पर हैं, जिसमें क्रम संख्या 1104 तथा याची संख्या-1 की जन्मतिथि 01.02.2008 प्रकट होती है। उक्त प्रमाणपत्र दिनांक 16.02.2026 को जारी किया गया है।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

3. आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर से यह प्रकट होता है कि वह दो पृष्ठ छोड़कर तैयार किया गया है तथा क्रम संख्या 945 से प्रारम्भ होकर 1105 तक है। समस्त विवरण एक ही कलम से तथा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही प्रवाह में अंकित किए गए हैं।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता याची संख्या-1 के नाम आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, अर्थात् संलग्नक-2 का मूल प्रस्तुत करेंगे।

5. प्रधानाचार्य, संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई ने प्रवेश रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसमें याची संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 2536 पर जन्मतिथि 01.01.2012 के साथ अंकित है। उन्होंने विद्यालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को जारी एक स्थानान्तरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया, जो उसी तिथि को स्वयं याची संख्या-1 द्वारा प्राप्त किया गया, जैसा प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि विगत तिथि पर संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रधानाचार्य द्वारा एक अन्य रजिस्टर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जन्मतिथि में काट-छाँट प्रकट होती है। उपरोक्त का सामना करते हुए, प्रधानाचार्य ने एक अन्य रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर वह रजिस्टर तैयार किया जाता है, जो समय-समय पर सत्यापन हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अन्य रजिस्टर में याची संख्या-1 का नाम क्रम संख्या 2536 पर जन्मतिथि 01.01.2012 के साथ अंकित है, तथापि प्रतीत होता है कि जन्मतिथि 08.07.2011 पर ऊपर से लिख दी गई है। क्रम संख्या भी ऊपर से लिखकर 2546 से 2536 कर दी गई है।

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. सामना कराए जाने पर प्रधानाचार्य का कथन है कि तत्पश्चात् प्रस्तुत आधार कार्ड के आधार पर जन्मतिथि परिवर्तित की गई थी, जबकि याचिका के साथ संलग्न याची संख्या-1 के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 01.02.2008 प्रकट होती है।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रवेश रजिस्टर तथा प्रधानाचार्य, संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई द्वारा प्रस्तुत लघु प्रवेश रजिस्टर इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के पास सीलबन्द लिफाफे में रखे जाएँगे।

9. संलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न स्थानान्तरण प्रमाणपत्र का मूल तथा उपरोक्त कथन दिनांक 27.02.2026 की प्रमाणित प्रति याची द्वारा आगामी तिथि पर प्रस्तुत की जाए।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची संख्या-1 की दो जन्मतिथियाँ हैं, अतः उसकी आयु के अवधारण हेतु याची संख्या-1 का अस्थि परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) कराया जाना समुचित होगा।

11. याची संख्या-1 का अस्थि परीक्षण एक सप्ताह की अवधि के भीतर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में कराया जाए। के.जी.एम.यू., लखनऊ के कुलपति से अनुरोध है कि वे याची संख्या-1 का अस्थि परीक्षण एक सप्ताह के भीतर करा दें। उक्त प्रयोजन हेतु याची संख्या-1 इस आदेश की प्रति सहित दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होगी।

12. इस स्तर पर याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि याची संख्या-1 लगभग पाँच माह की गर्भवती है, अतः सम्बन्धित चिकित्सक सर्वप्रथम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या इस स्तर पर परीक्षण सुरक्षित रूप से किया जा सकता है अथवा नहीं, तथा किसी

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।
Translated Version. Not for Legal Use.

बाधा के न होने की दशा में ही परीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण एवं अभिमत की प्रति आगामी नियत तिथि पर प्रस्तुत की जाए।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस आदेश की प्रति सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अविलम्ब संसूचित करेंगे।

14. इस वाद को दिनांक 04.06.2026 को सूचीबद्ध किया जाए, जिस तिथि पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के.जी.एम.यू. विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

15. इसी बीच, इस न्यायालय के विद्वान वरिष्ठ रजिस्ट्रार बाल कल्याण समिति से आर. एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रधानाचार्य के दिनांक 27.02.2026 को बाल कल्याण समिति के समक्ष अभिलिखित कथन की प्रमाणित प्रति, इस आख्या के साथ तलब करेंगे कि क्या प्रबन्धक स्वयं कथन हेतु उपस्थित हुए थे, जिसकी छायाप्रति याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, तथा वह अभिलेख पर रखी जाए।

16. आगामी सूचीबद्धता की तिथि तक, याची संख्या-3 से 5 के विरुद्ध, विवेचना में उनके सहयोग के अध्यधीन, कोई बलपूर्वक (उत्पीड़नात्मक) कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगामी तिथि पर आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई के प्रधानाचार्य को, जब तक इस न्यायालय द्वारा अपेक्षित न हो, पुनः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

17. इस आदेश की प्रमाणित प्रति पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सामान्य शुल्क के भुगतान पर आज ही जारी की जाए।"

3. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह ने चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा तैयार अभियोजित्री का अस्थि परीक्षण आख्या तथा गर्भावस्था की अवधि प्रस्तुत की है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

4. उपरोक्त आख्या सीलबन्द लिफाफे के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तथा ऐसी सील न्यायालय के समक्ष खोली गई है।

5. उपरोक्त आख्या के अनुसार, अभियोजित्री की रेडियोलॉजिकल आयु 18-20 वर्ष है तथा अभियोजित्री 16 सप्ताह 4 दिवस की गर्भवती है।

6. के.जी.एम.यू., लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी का ब्रीफ धारण करते हुए अधिवक्ता श्री इनामुद्दीन अहमद ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, के.जी.एम.यू., लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 01.06.2026, कतिपय चिकित्सीय प्रपत्रों एवं पत्राचारों के साथ प्रस्तुत किया है, जिसे भी अभिलेख पर लिया जाता है।

7. उपरोक्त पत्र के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त, अभियोजित्री के एम.आर.आई. की लागत, जो 14,000/- रुपये है, विश्वविद्यालय द्वारा वहन की गई है, जो इस न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किए जाने के अध्यधीन है। उपरोक्त पत्र भी अभिलेख पर लिया जाता है।

8. चूँकि एम.आर.आई. हेतु निर्देश इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया था तथा एम.आर.आई. की लागत अभियोजित्री से नहीं वसूल की गई है, अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, एम.आर.आई. की लागत अभियोजित्री से नहीं वसूल की जाएगी तथा के.जी.एम.यू. उपरोक्त लागत को

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपनी आकस्मिकता निधि अथवा किसी अन्य निधि से, जो विश्वविद्यालय के कुलपति के क्षेत्राधिकार एवं प्राधिकार के भीतर है, सुविधापूर्वक वहन कर सकता है।

9. याची संख्या-1, श्रीमती शिवानी उर्फ आफ़रीन तथा याची संख्या-2, सत्य पाल न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं तथा उनकी उपस्थिति उपनिरीक्षक, बिलग्राम, जनपद हरदोई श्री विजय कुमार सिंह द्वारा सुनिश्चित की गई है, जो भी न्यायालय में उपस्थित हैं।

10. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई ने बाल कल्याण समिति द्वारा बाल संरक्षण अधिकारी को सम्बोधित आख्या के साथ आख्या दिनांक 02.06.2026 दाखिल की है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। तथापि, तथ्यों एवं परिस्थितियों, अस्थि परीक्षण आख्या तथा याची संख्या-1 के कथन को दृष्टिगत रखते हुए, हम ऐसी आख्या पर कोई आदेश पारित करने की इच्छा नहीं रखते।

11. अनुपालन में, आर.एस. पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक श्री सर्वेश कुमार सिंह तथा आर.एस. पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री शिवम यादव भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

12. इस याचिका के माध्यम से याचीगण ने थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई में पंजीकृत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0175 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 87, 137(2) भारतीय न्याय संहिता को चुनौती दी है तथा यह निर्देश चाहा है कि उन्हें उपरोक्त अपराध वाद में गिरफ्तार न किया जाए। सुविधा हेतु प्रार्थना संख्या 1 एवं 2 नीचे उद्धृत की जाती हैं :-

"[i] उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0175 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 87, 137[2] भा.न्या.सं. [366, 363 भा.द.सं.], थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई, जो इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या-1 में अन्तर्विष्ट है, अभिखण्डित की जाए।

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

[II] परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा विरोधी पक्षकारगण को आदेशित किया जाए कि वे इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या-1 में अन्तर्विष्ट आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में याची संख्या-2 से 5 को गिरफ्तार न करें तथा याची संख्या-1 को उत्पीड़ित न करें।"

13. याची संख्या-1 से यह पूछे जाने पर कि क्या उसने याची संख्या-2 के साथ विवाह किया है, उसने कथन किया है कि उसने दिनांक 18.04.2026 को उसी तिथि, अर्थात् 18.04.2026 को स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करने के उपरान्त याची संख्या-2 के साथ विवाह किया है। वह उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रही है तथा उसे अपने पति, जो याची संख्या-2 है, के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

14. यद्यपि किसी महिला के इस्लाम से हिन्दू धर्म में संपरिवर्तन की कोई प्रक्रिया नहीं है, किन्तु यह ऐसा प्रकरण है जिसमें सद्भावनापूर्ण धारणा रखते हुए कि जिस हिन्दू व्यक्ति से वह प्रेम करती है, उसके साथ विवाह करने से पूर्व उसे संपरिवर्तित होना पड़ेगा, उसने स्वयं का संपरिवर्तन कर लिया तथा इस आशय का प्रमाणपत्र आर्य समाज मन्दिर, गोखले मार्केट, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, और संपरिवर्तन एवं विवाह का प्रमाणपत्र याचिका के साथ संलग्नक संख्या-4 एवं 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उसने यह भी कथन किया है कि वह गर्भवती है तथा ऐसी गर्भावस्था के.जी.एम.यू. के चिकित्सकों के दल द्वारा प्रमाणित की गई है। उसने विशेष रूप से यह कथन किया है कि याची संख्या-2 उसका पति है तथा वह उसके साथ रहने को इच्छुक है। अन्त में उसने यह निवेदन किया है कि चूँकि उसके परिवारजन इस विवाह पर सहमत नहीं थे, अतः उसके पति तथा उसके पति के परिवारजनों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

15. याची संख्या-1 के पति, याची संख्या-2 सत्यपाल से यह पूछे जाने पर कि क्या वह उसका समुचित रूप से भरण-पोषण एवं देखभाल कर सकता है, यह दृष्टिगत रखते हुए कि वह 16 सप्ताह 4 दिवस की गर्भवती है, अतः उसे विशेष देखभाल एवं विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

उसे कोई असुविधा अथवा समस्या न हो, उसने प्रबल रूप से कथन किया है कि वह उसकी समुचित देखभाल करने में समर्थ है तथा वह न्यायालय को आश्वस्त करता है कि उसे ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की असुविधा एवं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह आगे भी उसकी समुचित देखभाल करेगा तथा दोनों पति-पत्नी के रूप में प्रसन्नतापूर्वक निवास करेंगे।

16. याची संख्या-1 एवं 2 के उपरोक्त कथन के आधार पर, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपनी प्रभावकारिता खो चुकी है, अतः उसे अपास्त/अभिखण्डित किया जाए।

17. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह का निवेदन है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व में ही दर्ज कराई जा चुकी है तथा विवेचना चल रही है, किन्तु उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा याची संख्या-1 एवं 2 के कथन के आलोक में, अभियोजन के हित में इस न्यायालय द्वारा कोई समुचित आदेश पारित किया जा सकता है।

18. विरोधी पक्षकार संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. निगम ने संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। श्री बी.पी. निगम ने प्रबल रूप से कथन किया है कि महाविद्यालय से जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के अनुसार याची संख्या-1 विवाह के समय अवयस्क थी, किन्तु यदि इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियोजित्री/याची संख्या-1 का अस्थि परीक्षण कराया जा चुका है और उसे वयस्क घोषित किया गया है, तो कोई समुचित आदेश पारित किया जा सकता है, क्योंकि यदि याची संख्या-1 ने याची संख्या-2 के साथ विवाह कर लिया है तथा इस न्यायालय के समक्ष अपना कथन अभिलिखित कराया है कि वह अपने पति याची संख्या-2 के साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रही है और 16 सप्ताह 4 दिवस की गर्भवती है, तो याची संख्या-1 के हित में कोई समुचित आदेश पारित किया जा सकता है।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने तथा याची संख्या-1 एवं 2 के कथन पर विचार करने के उपरान्त, हम यह समुचित पाते हैं कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो धारा 87, 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी, अपनी प्रभावकारिता खो चुकी है और इस प्रकार न विवेचना की आवश्यकता होगी, न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में किसी अग्रेतर कार्यवाही की। विधि को वादकारियों को वह वास्तविक एवं समुचित सहायता प्रदान करने हेतु आगे आना चाहिए, जो विधि की चारदीवारी के भीतर अनुज्ञेय है, न कि उन्हें अनावश्यक वाद-विवाद का सामना करने हेतु विवश करने के लिए।

20. वर्तमान प्रकरण में, याची संख्या-1 एवं 2 पूर्व में ही विवाह कर चुके हैं, पति-पत्नी के रूप में प्रसन्नतापूर्वक साथ निवास कर रहे हैं तथा याची संख्या-1 16 सप्ताह 4 दिवस की गर्भवती है, अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, हम एतद्द्वारा थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0175 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 87, 137(2) भारतीय न्याय संहिता, जो रिट याचिका के संलग्नक संख्या-1 के रूप में अन्तर्विष्ट है, अपास्त/अभिखण्डित करते हैं।

21. यह निर्देशित किया जाता है कि किसी को भी याची संख्या-1 एवं 2 के शान्तिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करने की अनुज्ञा नहीं होगी, चाहे वह निजी व्यक्ति हो अथवा लोक प्राधिकारी, यथा पुलिस कार्मिक इत्यादि।

22. उल्लेखनीय है कि प्रबन्धक, आर.एस. पब्लिक स्कूल, लालौली द्वारा प्रस्तुत प्रवेश रजिस्टर तथा प्रधानाचार्य, संविलियन विद्यालय, तरौली, बिलग्राम, हरदोई द्वारा प्रस्तुत लघु प्रवेश रजिस्टर, जो सीलबन्द लिफाफे में रखे गए थे, इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उन्हें खोलने तथा उन प्रपत्रों की छायाप्रति अभिलेख पर रखने के उपरान्त दोनों संस्थानों को वापस किए जा सकते हैं।

23. तद्नुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

24. व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

जून 4, 2026

अनुराग **(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)**

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।